न्याय आपके द्वार अभियान - 2018

13.6.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट सीनाल में पेश हुई राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया जो रा. निकाय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने वैकि॰ ख॰ न॰ 3846 रकबा 7-11-70 हाल बकास्तकार 3001 रकबा 1.21 आराजी की इन्तकाल दानी व खोलाई 34 घोषणा बाबत उत्तर वाद पेश किया है। राज. पैरोकार के जवाब अनुसार ख॰ न॰ 3001 रकबा 4.58 अमपेट निकाय प्राधिकरण, अमपेट केवल, 3001/2 रकबा 16.80 व नदिकार के नाम व 3001/1 रकबा 0.36 गनीशाह पुत्र मनारशाह की खातेदारी में दर्ज है वादी ने उक्त तीनों का प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त तीनों की सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद अपूर्ण पक्षकार के कारण डिक्री का खारिज किया जाता है। वादी वांछित व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर नवीन वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली कैम्प ग्राम हो कार्य के बाद हो व दाखिल दफ्तर हो

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट : सीनाल